न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

पत्रावली संख्या : 249/**17 (वाद)**

अनवान

1. श्रीमती बदामीबाई पत्नी स्व. माना गाडरी निवासी गारीयावास घणोली तह. मावली।
2. सुश्री काजल पुत्री माना गाडरी नाबालिक जरिये संरक्षक माता बदामीबाई पत्नी स्व. माना गाडरी निवासी गारीयावास घणोली तह. मावली।

.....**वादीगण**

बनाम्

1. श्रीमती लाली पत्नी स्व. माना गाडरी निवासी गारीयावास घणोली तह. मावली।
2. मांगीबाई पुत्री स्व. माना गाडरी निवासी गारीयावास घणोली तह. मावली।
3. सुश्री गुड्डी पुत्री स्व. माना गाडरी नाबालिग जरिये संरक्षक माता लाली पत्नी स्व. माना गाडरी निवासी गारीयावास घणोली तह. मावली।
4. श्रीमती देउ पत्नी गणेश गाडरी निवासी गारीयावास घणोली तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।

.....**प्रतिवादीगण**

उपस्थित :– 1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट.

: : निर्णय : :

दिनांक : 08.01.2020

1. वाद वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौरूसी कृषि भूमि राजस्व ग्राम घणोली पटवार हल्का नामरी में स्थित होकर निम्न आराजीयात की कृषि भूमि स्थित हैं। आराजी नम्बर 544, 548, 549, 1228, 1243/1 किता 5 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा।
2. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

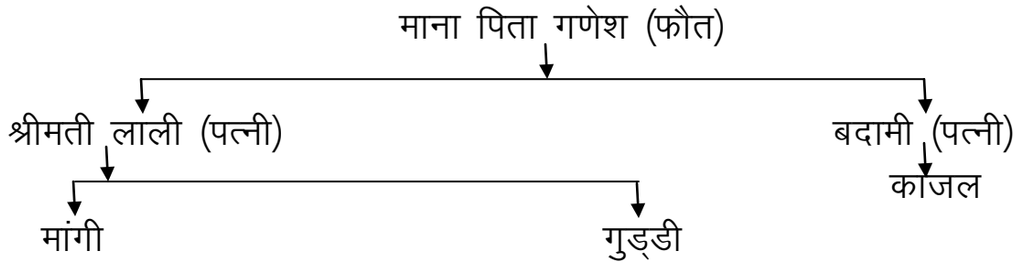

उपरोक्त सजरेनुसार माना पिता गणेश गाडरी का निधन अभी हाल ही में हो चुका है माना पिता गणेश गाडरी का निधन अभी हाल ही में हो चुका है माना पिता गणेश गाडरी ने अपने जीवनकाल में वादीयां सं. 1 एवं 2, प्रतिवादी सं. 1 से विवाह किया था इस तरह वादीयां ने मृतक खातेदार माना गाडरी के नुत्फै से एक पुत्री को जन्म दिया जिसकी नाम काजल होकर वादीयां सं. 2 हैं। इसी तहर से मृतक माना ने प्रतिवादीयां सं. 1 से भी विवाह किया था प्रतिवादी सं. 1 ने माना गाडरी के नुत्फै से दो पुत्रीयां को जन्म दिया जो प्रतिवादी सं. 2 व 3 हैं। इसी तरह प्रतिवादी सं. 4 मृतक माना की माता हैं।

3. वाद में वर्णित भूमि मृतक माना पिता गणेश गाडरी के नाम पर 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि वादीयां सं. 1 के पति व वादीयां सं. 2 के पिता माना पिता गणेश गाडरी के खातेदारी की होने से वादीयां सं. 1 का वादग्रस्त भूमि में 1/10 वां हक हिस्सा बनता है तथा वादीयां सं. 2 का भी 1/10 वां हक हिस्सा बनता हैं। इसी तरह प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 का 1/10, 1/10 हक हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादीयां सं. 4 का वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार 1/2 हक हिस्सा हैं।
4. वादीगण मृतक खातेदार माना के निधन के बाद वादग्रस्त भूमि पर हक हिस्से अनुसार बतौर खातेदारी हक से भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा काश्त करते आ रहे है वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को विरासत के आधार पर अपने नाम कराने हेतु नामान्तरकरण ऑथोरिटी को आवेदन किया लेकिन नामान्तरकरण ऑथोरिटी ने एवं हल्का पटवारी ने वादीगण के नाम पर मृतक खातेदार माना पिता गणेश गाडरी के बजाय वादीगण के नाम पर विरासत से भूमि दर्ज करने में आनाकानी कर रहे है तथा प्रतिवादीगण से मिलीभगत करके वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि से वंचित कर रहे हैं। वादीयां सं. 1 विधवा होकर वादीयां सं. 2 उसकी नाबालिग पुत्री है वादीयां के पति माना गाडरी पिता गणेश गाडरी का निधन हो जाने से वादीयां के सामने अपने स्वयं का एवं अपनी बच्ची का भरण पोषण करने में काफी संकट उत्पन्न हो गया है जबकि वादीयां मृतक खातेदार माना गाडरी की पत्नी है तथा वादीयां सं. 2 मृतक खातेदार माना की जाईन्दा पुत्री हैं। मृतक खातेदार के नाम पर दर्ज वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण के नाम नामान्तरण नहीं होने से वादीगण के विधिक

अधिकारों पर विपरित असर पड रहा हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण वाद की कलम सं. 4 में वर्णित हिस्सेनुसार वादग्रस्त भूमि में मृतक खातेदार माना पिता गणेश गाडरी के हिस्से की भूमि में अपने खातेदारी हकों की घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी हैं।

5. वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद में वर्णित हक हिस्सेनुसार मौके पर अलग अलग काबिज होकर काश्त करते आ रहे है लेकिन भूमि का विधिक बंटवाडा नहीं होने से वादीगण घोषणा के साथ साथ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादग्रस्त भूमि का विधिक बंटवाडा कराने के अधिकारी हैं।
6. यह कि वादीयां सं. 1 विधवा होकर महिला है तथा वादी सं. 2 वादीयां सं. 1 की नाबालिग पुत्री है जबकि प्रतिवादीगण सभी एक साथ होकर सं. में अधिक है वो अविधिक तरीके से वादीगण को वादग्रस्त भूमि से तथा उनके विधिक हक व अधिकारों से किसी भी तरीके से वंचित करने पर आमादा हैं। हल्का पटवारी को तथा नामान्तरकरण करने वाले ऑथोरिटी को वादीयां के नाम पर वादग्रस्त भूमि नामान्तरित नहीं करने की मिली भगत कर वादीयां को मौके से बेदखल करने की धमकी दे रहे है तथा प्रतिवादीगण किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को वादग्रस्त भूमि को स्थानान्तरित मुन्तकिल आदी करने पर आमादा है तथा वादीगण को अच्छी से अच्छी फ्रन्ट वाली भूमि से वंचित करने पर आमादा है इस तरह वादीगण का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता/पति के समय की होने से अपूरणीय क्षति भी वादीगण को ही होने वाली हैं। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के कानूनन अधिकारी हैं।
7. यह कि वादकारण प्रथम बार दिनांक 27.10.17 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि अपने नाम पर नामान्तरित कराने हेतु कहा तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने का असफल प्रयास किया। उसके बाद वादकारण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी हैं।
8. अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री सादर फरमायी जावे कि (क) वादपत्र में वर्णित भूमि में मृतक खातेदार माना पिता गणेश गाडरी के नाम पर दर्ज हिस्से की भूमि में

वादीयां सं. 1 को 1/10 हक हिस्से की तथा वादीयां सं. 2 को भी 1/10 हक हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित फरमाई जावे तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद फरमाया जावें। (ख) प्रतिवादीगण के विरूद्व शाश्वत निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वो वाद पत्र में वर्णित भूमि को किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित मुन्तकिल आदी नहीं करे तथा वादीगण के हक हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण किसी तरह का हस्तक्षेप या दखल अंदाजी नहीं करे और न ही प्रतिवादीगण भूमि की किसी तरह से प्रकृति परिवर्तित करे तथा वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि में शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावें। (ग) वाद पत्र में वर्णित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद में वर्णित हक हिस्सेनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराये जाने का आदेश प्रदान करावें। (घ) अन्य अनुतोष धारा 209 के तहत् जो भी वादी को मिल सकती है वो वादी को दिलाई जावें। (ड) वाद व्यय व वकील मेहनताना वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 5 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में साक्ष्य वादीगण प्रारम्भ की गई।
10. प्रकरण में साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 श्रीमती बदामबाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।
11. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
12. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा यह वाद घोषणा के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादीगण द्वारा अपने आप को माना के वारिस होकर माना की भूमि में खातेदारी घोषणा कराने का वाद प्रस्तुत किया हैं। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 1 को माना की पत्नी व प्रतिवादी सं. 2, 3 माना की पुत्री होना बताया हैं। वादी सं. 1 भी अपने आप को माना की पत्नी व वादी सं. 2 को माना की पुत्री बताया हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 3 को वादीगण द्वारा माना के विधिक वारिस होना

बताया हैं। वादीगण द्वारा माना के मृत्यु के बाद विरासत से माना के नाम दर्ज भूमि का नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा नहीं खोलने से इस न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर माना के नाम दर्ज भूमि को वादीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज किया जाने का निवेदन किया हैं, जबकि वादीगण के वाद पत्र के अवलोकन से वादीगण द्वारा दस्तावेज के रूप में केवल मात्र जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 ही प्रस्तुत की हैं। जिसमें माना पिता गणेश खातेदार के रूप में दर्ज हैं। वादीगण द्वारा माना का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं माना के विधिक वारिसों का प्रमाणित सजरा प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे खातेदार माना के विधिक वारिसों की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। वादीगण द्वारा अपने आप को व प्रतिवादी सं. 1 से 3 को वादपत्र में केवल कथन के आधार पर माना के विधिक वारिस मान रहे हैं। चूंकि वादीगण द्वारा अपने वाद में केवल कथन मात्र के आधार पर माना के पत्नी व पुत्री होने की बात कही हैं जो कि दस्तावेजों के आधार पर किसी भी प्रकार से साबित नहीं करा पाये हैं। प्रतिवादीगण को भी जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे माना के विविध वारिसों बाबत् स्थिति को वाद में स्पष्ट किया जा सके। वादीगण द्वारा पर्याप्त दस्तावेजों के आधार पर अपने आप को माना के विधिक वारिस होने के तथ्य को साबित कराने में असफल रहे हैं, जबकि यदि वास्तव में वादीगण को लगता है कि माना के विधिक वारिस है तो उन्हे पर्याप्त दस्तावेज माना के विधिक वारिस होने के तथ्य प्रमाण के साथ रेकार्ड पर लाने चाहिए थें जबकि वादीगण द्वारा माना से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज वादपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया हैं। वादीगण वास्तव में माना के विधिक वारिस होते तो यह स्पष्ट है कि वादीगण के पास माना का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित सजरा, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, वादीगण का पहचान पत्र इत्यादि दस्तावेज मौजूद होते व उन्हे वाद के साथ प्रस्तुत किया जा सकता था जबकि वादीगण द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया हैं एवं ना ही दस्तावेज पेश नहीं करने का कोई कारण ही बताया हैं। प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा अपूर्ण दस्तावेज एवं कथन मात्र के आधार पर ही घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं जिसमें जानबुझकर दस्तावेजों को वाद के साथ रेकार्ड पर नहीं

लाकर वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर मावली

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती बदामीबाई पत्नी स्व. माना गाडरी निवासी गारीयावास घणोली तह. मावली।
2. सुश्री काजल पुत्री माना गाडरी नाबालिक जरिये संरक्षक माता बदामीबाई पत्नी स्व. माना गाडरी निवासी गारीयावास घणोली तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्रीमती लाली पत्नी स्व. माना गाडरी निवासी गारीयावास घणोली तह. मावली।
2. मांगीबाई पुत्री स्व. माना गाडरी निवासी गारीयावास घणोली तह. मावली।
3. सुश्री गुड्डी पुत्री स्व. माना गाडरी नाबालिग जरिये संरक्षक माता लाली पत्नी स्व. माना गाडरी निवासी गारीयावास घणोली तह. मावली।
4. श्रीमती देउ पत्नी गणेश गाडरी निवासी गारीयावास घणोली तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 249/17 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.01.2020 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.07 12:47:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: